न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 32/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/131

अपीलाण्ट्स :–

मृतक दीपा पुत्र श्री डूंगाजी, जाति सीरवी, निवासी ग्राम केनपुरा, तहसील पाली, जिला पाली के उत्तराधिकारीगण :–

1. मृतक तारीया पुत्र श्री दीपाजी, जाति सीरवी, निवासी ग्राम केनपुरा, तहसील पाली, जिला पाली के उत्तराधिकारीगण :–
   1/1. जीवाराम पुत्र श्री तारीयाजी
   1/2. मानाराम पुत्र श्री तारीयाजी
   1/3. मांगीलाल पुत्र श्री तारीयाजी, जातिगण सीरवी, निवासीगण ग्राम केनपुरा, तहसील पाली, जिला पाली
2. मृतक केसाराम पुत्र श्री दीपाजी, जाति सीरवी, निवासी ग्राम केनपुरा, तहसील पाली जिला पाली के उत्तराधिकारीगण :–
   2/1. भैराराम पुत्र श्री केसारामजी,
   2/2. गीता पुत्री श्री केसारामजी,
   2/3. लीला पुत्री श्री केसारामजी,
   2/4. राधा पुत्री श्री केसारामजी,
   2/5. श्रीमती पानी पत्नी श्री केसारामजी, जातिगण सीरवी, निवासीगण ग्राम केनपुरा, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान
3. कना पुत्र श्री दीपाजी,
4. मोहनी पुत्री श्री दीपाजी,
5. पाबू पुत्री श्री दीपाजी,
6. टीपू पुत्री श्री दीपाजी, जातिगण सीरवी, निवासीगण ग्राम केनपुरा, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. पुखा पुत्र श्री दीपाजी,
2. रूगा पुत्र श्री दीपाजी, जातिगण सीरवी, निवासीगण ग्राम केनपुरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.02.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम खैरवा ।। हाल केनपुरा, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 15.01.1983 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि खसरा संख्या 1719 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम मौजा ग्राम खैरवा ।। हाल केनपुरा तहसील पाली में स्थित है। जिस कृषि भूमि का एकमात्र रेकर्डेड काबिज एवं काश्त खातेदार अपीलाण्ट्स के दादा, पिता दीपा पुत्र श्री डूंगाजी जाति सिरवी, निवासी ग्राम केनपुरा था एवं रहा। तत्पश्चात् दीपा पुत्र श्री डूंगाजी का देहान्त करीब सन् 1980 में हो गया जिससे जैर आराजी के खातेदार दीपा पुत्र श्री डूंगाजी के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण के जायन्दा पुत्र तारीया, केसाराम कना एवं तीन पुत्री मोहनी, पाबू, टीपू जीवित थे। तत्पश्चात तारीया व केसाराम का देहान्त हो गया। तारीया के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी अपीलाण्ट संख्या 1/1 लगाय 1/3 एवम् केसा पुत्र श्री दीपाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी अपीलाण्ट संख्या 2/1 से 2/5 तक है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की अनुसूची–अ अनुसार प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण के जायन्दा पुत्र एवम् पुत्रियां एवम् बेवा के अपीलाण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/5 जीवित मौजूद थे, रहें एवं आज भी जीवित है तथा दीपा पुत्र श्री डूंगाजी के जायन्दा पुत्र कना एवम् जायन्दा पुत्रियां के मोहनी, पाबू, टीपू जीवित मौजूद है जो क्रमशः अपीलाण्ट संख्या 03 लगाय 06 है। इस प्रकार उक्त आराजी का खातेदार दीपा पुत्र श्री डूंगाजी के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण अपीलाण्ट थे, रहे एवम् है जो दीपा पुत्र श्री डूंगाजी की मृत्यु के पश्चात से आज दिन तक लगातार उक्त आराजी पर बतौर खातेदार के काबिज एवं काश्त करते रहे है के बावजूद अदालत मातेहत तहसीलदार, पाली द्वारा अपीलाण्ट्स के दादा, पिता दीपा पुत्र श्री डूंगाजी के देहान्त के पश्चात् अपीलाधीन फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 171 स्वीकृत आदेश दिनांक 15.01.1983 अपीलाण्ट्स को बिना जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस दिये कानून की मंशा के खिलाफ अपीलाण्ट्स के बजाय रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 बेनामी व्यक्तियों के नाम स्वीकृत किया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी के मृतक खातेदार दीपा पुत्र श्री डूंगाजी, जाति सिरवी, निवासी ग्राम केनपुरा के उतराधिकारीगण बतौर पुत्रों के एवम् अन्य व्यक्ति नहीं होने के बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में सादिर करने में अदालत मातेहत तहसीलदार पाली ने कानूनी वाक्याती गम्भीर भूल की है जिससे

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अदालत मातेहत द्वारा सादिर ऐसा अपीलाधीन' म्यूटेशन संख्या 171 स्वीकृत आदेश दिनांक 15.01.1983 कानून् के होने से कानून् काबिल निरस्त के है। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में अपीलाण्ट्स को जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया जो दिया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है। जैर नामान्तरकरण रेस्पो. संख्या 01 व 02 के नाम स्वीकृत किया गया जो कि ग्राम केनपुरा के निवासी कभी न तो थे न ही कभी रहे एवं जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय राजस्थान लैण्ड रेकर्ड रूल्स के नियमों की भी पालना नहीं की गई जिससे जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 15.01.1983 तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के अनुसार मृतक दीपा वल्द डूंगा के वारिसान के रूप में अपीलाण्ट व उनके पूर्वजों के नाम रेकर्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 मृतक दीपा के उत्तराधिकारी न होकर अज्ञात व्यक्ति है जिसकी ताईद न्यायालय द्वारा जारी नोटिस, संबंधित ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व इस न्यायालय के आदेश के क्रम में अखबार साया करवाये जाने से होती है जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 मृतक दीपा के उत्तराधिकारी होने को प्रथम–दृष्ट्या संदिग्धतता उत्पन्न करते है। उपरोक्त जैर अपील नामान्तरकरण रेस्पो. संख्या 01 व 02 के नाम भरा गया जबकि दीपा के उत्तराधिकारी के रूप में अपीलाण्ट का विनिश्चिय अन्य नामान्तरकरण में किया जा चुका है तथा रेस्पो. संख्या 01 व 02 के दीपा के उत्तराधिकारी होने की संधिग्तता पत्रावली पर उपलब्ध है तथा रेस्पो. संख्या 01 व 02 के मृतक दीपा के उत्तराधिकारी होने का प्रथम–दृष्ट्या कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतएव हम ग्राम खैरवा ।। हाल केनपुरा के नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 15.01.1983 को निरस्त कर तद्नुसार तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में मृतक दीपा के विधिक वारिसान की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली